

2/2

में तक दिया कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार के पद पर नियुक्त है
वकील निगरानीकर्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस
प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 प्राप्त हुआ।
उपरिस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली ग्राम पंचायत कायालय में उपलब्ध नहीं
गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अपाणी संख्या 1 जारिये अभिभाषक
निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रार की जाकर अपाणीगण को तलबी जारिये सम्मन की
संख्या 84 आदेश दिनांक 28.01.2006 को निरस्त करमाये जाने का निवेदन किया गया है।

पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत गोटडा द्वारा जारी कर्मी तरीके से जारी पट्टा बिलेख
संख्या 84 फसला दिनांक 28.01.2006 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध
मिलकर राज्य सरकार की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर कर्मी तरीके से पट्टा
संख्या 84 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से
तहत ग्राम पंचायत गोटडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2006 के द्वारा जारी पट्टा बिलेख
निगरानीकर्ता ने यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के

दिनांक 23.02.2026

निर्णय

श्री सत्यन्द कर्मार गायल एडवोकेट विपक्षी संख्या 1 की ओर से।

उपरिस्थित - श्री तौकीक अहमद एडवोकेट निगरानीकर्ता की ओर से।

विपक्षीगण.....

1. कसर लाल खटीक पुत्र नान्दा खटीक निवासी ग्राम खण्डार तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत गोटडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत गोटडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. उप पंजीयक तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

निगरानीकर्ता.....

विकास अधिकारी पंचायत समिति, खण्डार जिला सवाई माधोपुर

तारीख रज 31.07.2023

निगरानी 14/2023

वी०सी०एम०एस० संख्या 2023/76

पीठासीन अधिकारी - संजय शर्मा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

2/

जिन्हें फर्जी पट्टा प्रकरण के संबंध में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त फर्जी पट्टे के बारे में माननीय जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर को दिनांक 20.10.2020 को शिकायत प्राप्त होने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को उक्त फर्जी पट्टा प्रकरण की जांच कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित करने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिनांक 28.12.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट पेश होने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 28.06.21 को तीन सदस्यी जांच कमेटी गठित की गई जांच कमेटी द्वारा दिनांक 19.08.21 को पेश की गई जांच रिपोर्ट में उक्त शिकायत सही पाई गई तथा जांच किया गया पट्टे फर्जी तरीके से जारी किया जाना पाया गया। यह कि विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से मिलकर राज सरकार की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर फर्जी तरीके से पट्टा संख्या 84 फूसला दिनांक 28.01.2006 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध व असत्य तथ्यों के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करते समय उचित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। उक्त फर्जी तरीके से जारी किये गये पट्टा की कोई पञ्चावली ग्राम पंचायत गौठडा में नहीं पाई गई और उक्त पट्टे के संबंध में नियमानुसार पट्टे की तीन प्रतियां, जिसमें एक पट्टेधारियों के पास, दूसरी ग्राम पंचायत व तीसरी पंचायत समिति में) भी नहीं बनाई गई है। उक्त पट्टे के संबंध में कोई प्रति ग्राम पंचायत गौठडा व पंचायत समिति खण्डार में जमा नहीं है। उक्त विवादित पट्टा जारी करते समय विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी मिलीमगत करके उक्त पट्टे में जो राशि भूमि विक्रय के संबंध में फर्जी तरीके से दर्शाई गई है उक्त भूमि विक्रय राशि 2601/- रु० का इन्दाज ग्राम पंचायत गौठडा में उपलब्ध रसीदों में उक्त राशि का इन्दाज ही नहीं है और ना ही उक्त राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा है। इस प्रकार पट्टा जारी करते समय उक्त राशि का पट्टे पर फर्जी तरीके से इन्दाज किया गया है। ग्राम पंचायत में उक्त राशि का रसीद बुक रोकड बही में कोई इन्दाज नहीं है इस कारण विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने यह फर्जी इन्दाज कर फर्जी पट्टा बनाया गया है। पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत के कोरम में एक प्रस्ताव तिया जाता है जिसके संदर्भ में जारी करते समय ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.01.2006 का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत गौठडा में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त संकल्प संख्या व दिनांक पट्टे पर फर्जी तरीके से अंकित किया गया है। उक्त विवादित भूखण्ड का बेवान फर्जी पट्टे के मद नं० 2 के अनुसार आपसी बातचीत पर बेवान बताया गया है जबकि पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विक्रय तब ही कर सकती जब उक्त भूमि के विक्रय करते समय नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती जबकि उक्त प्रकरण में उक्त विवादित भूखण्ड के नीलामी के माध्यम से बेवान की कोई प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई और ना ही उक्त भूखण्ड की वर्तमान बाजार दर से राशि प्राप्त की गई ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा सम्पूर्ण फर्जी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए फर्जी तरीके से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 28.01.2006 से पट्टा संख्या 84 जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित पट्टा में फूसला दिनांक 28.01.06, पंचायत का संकल्प दिनांक 20.01.06

12

वकील निगरानीकर्ता ने प्रत्युत्तर बहस में तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को उक्त निगरानी मिथाट बाहर होने के संबंध में तर्क दिया कि आवैधानिक आदेश को कभी भी माया। उक्त निगरानी मिथाट बाहर होने के संबंध में तर्क दिया कि आवैधानिक आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसमें मिथाट लागू नहीं होती है। वकील निगरानीकर्ता ने पंजीकृत

अन्य तथा RLR 1999(2) Sua Lal & ors. V/s State of Raj. & ors. पेश की।

न्यायालय की साइटेडेशन, 1999 DNI [Raj.] पृष्ठ संख्या 781 समेखर बनम रजस्थान सरकार एवं खारिज किसे जाने योग्य है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्च जिला कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश दिये हैं। उक्त निगरानी मिथाट बाहर पेश की गई है जो वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में यह तर्क भी दिया कि उक्त पट्टा जारी होने के 14 वर्ष बाद समिति खण्डार का उक्त प्रकार में किस प्रकार का हित है यह पत्रावली में उल्लेखित नहीं है। चलने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भी तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है उक्त निगरानी न्यायालय द्वारा में संख्या 1 द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि हमारे द्वारा प्राप्त पट्टा रजिस्टर्ड पट्टा है जिस विधिवत प्रक्रिया अपनायी गई है जिसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। वकील अप्रार्थी उक्त नियमानुसार जारी पट्टे को फर्जी बताया गया है। जबकि उक्त पट्टा प्राप्त करने की लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। ग्राम पंचायत के कामियों ने जानबूझकर पत्रावलियां मायब कर द्वारा निर्धारित की गई राशि जमा करवाई गई है। उक्त जमा राशि रिकार्ड में जमा नहीं करने के पट्टा प्राप्त में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। हमारे द्वारा ग्राम पंचायत करने के बाद नियमानुसार उप पंजीयक के यहां पट्टा पंजीकृत कराया गया है। हमारे द्वारा उपरान्त हमारे द्वारा नियमानुसार निर्धारित फीस जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है। पट्टा प्राप्त द्वारा विवादित भूखण्ड का मौका मुआयना किया गया। मौका मुआयना करके कमेटी की रिपोर्ट के किसे तथा उक्त संबंध में किसी की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी पंचायत में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी कक्षा बना आ रहा है। उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत से पट्टा लेने के लिए हमारे द्वारा ग्राम वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित भूखण्ड पर हमारा पूर्व से निरस्त करमाई जावे।

तरीके से ग्राम पंचायत गौडला द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 84 आदेश दिनांक 28.01.2006 को की निगरानी स्वीकार करमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी पुनरीक्षण प्राधिकारी के रास्ते में विलेख का बिन्दु बीच में नहीं आ सकता है। अतः निगरानीकर्ता तथा आवैधानिक तरीके से जारी किसे गए हैं। ऐसे पट्टे को चुनौती का संधारण करने समय भी समान है जिससे पट्टे का फर्जी होना साबित होता है। उक्त विवादित पट्टा छल, अस्वाचार इतराल फर्जी तरीके से अतिक्रम की गई है। उक्त विवादित पट्टे पर मिसल संख्या व पट्टा संख्या ही प्रक्रिया के संबंध में कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत गौडला में नहीं है। इस कारण पट्टे पर सम्पूर्ण मिला भगत करके एक ही दिन में पट्टे के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाया गया है। तीनों व ग्राम बेवान राशि जमा करने की दिनांक 28.01.06 एक ही समान है अर्थात् विपक्षीगण द्वारा

पट्टे के क्षेत्राधिकार के संबंध में तर्क दिया जाँक उक्त पट्टे शुरू से ही अवैधानिक है इसलिए उक्त पट्टे के पंजीकृत होने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा को खारिज करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील निगारानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की साईटेशन 2019(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 77 इसाक खान बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2019(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 230 श्रीमती उषा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2017(2)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 1185 मांजी लाल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा 2017(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 268 श्रीमती शालि देवी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा 2015(2)DNJ[Raj.] पृष्ठ संख्या 595 राजू शीला बनाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं अन्य पेश की।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने, अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 व प्रसृत दस्तावेजात व नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निगारानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत उक्त पट्टा संख्या 84 आदेश दिनांक 28.01.2006 के विरुद्ध यह निगारानी प्रसृत की गई है। पंचायती में उपलब्ध जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पट्टा कर्मी तथीके से बिना रिकार्ड के जाँक किये गये हैं। ग्राम पंचायत गौडडा से प्राप्त पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार उक्त पट्टे संबंधित पंचायती ग्राम पंचायत गौडडा में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश की गई नजीर 2021(2) CJ(Civ.)(SC) पृष्ठ संख्या 1012 गीपाल पटेल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य इस प्रकार में बरपा नहीं होती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे का पंजीकरण कराया गया है जाँक जांच रिपोर्ट से पट्टा कर्मी प्रमाणित होता है। अतः कर्मी तथीके से जाँक किये गए पट्टे का पंजीकरण प्रारम्भ से ही बर्न्य है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा संख्या 84 आदेश दिनांक 28.01.2006 खारिज होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगारानीकर्ता द्वारा प्रसृत निगारानी स्वीकार करमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2006 के द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 84 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को लिखाया जाकर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(सजय शर्मा)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
 सवाईमाधोपुर